संख्या- 02/2019/616/62-1-2019-830/98

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 दिनांकः लखनऊः 10 जून,2019

विषयः **प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2019 तक ''भूजल सप्ताह'' का आयोजन किया जाना।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या एवम् औद्योगिकीकरण के कारण जलसंसाधनों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है,वहीं सिंचाई, पेयजल व औद्योगिक सेक्टर्स में भूजल पर निरन्तर बढ़ती निर्भरता से भी अनेक क्षेत्रों में भूजल के अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल स्तर में चिन्ताजनक गिरावट एवं अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। लगभग सभी प्रमुख शहरों में भूजल स्तर में जहाँ भारी गिरावट हो रही है, वहीं प्रदेश के 179 विकासखण्ड अतिदोहित/क्रिटिकल श्रेणी में पहुँच गये हैं। भूजल संसाधन के नवीनतम आंकलन के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 113 विकासखण्ड अतिदोहित, 59 विकासखण्ड क्रिटिकल एवं 45 विकासखण्ड सेमीक्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किए गये हैं। भूजल उपलब्धता में कमी आने के साथ भूजल प्रदूषण व जल प्लावन की समस्याएं नयी चुनौतियों के रुप में सामने आ रही हैं। यह स्थिति चिन्ताजनक है। प्रदेश में समग्र भूजल प्रबन्धन के दृष्टिगत यह एक गम्भीर चुनौती है।

2- प्रदेश सरकार द्वारा भूजल संसाधनों के दीर्घ कालिक एवम् समग्र प्रबन्धन के प्रयास प्राथमिकता पर किए जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत राज्य भूजल संरक्षण मिशन की योजना के द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संकटग्रस्त विकास खण्डों में भूजल प्रबन्धन हेतु विभिन्न सप्लाई साइड तथा डिमांड साइड इन्टरवेन्शन्स अपनाए जा रहे हैं। भूगर्भ जल संसाधनों के प्रभावी प्रबन्धन एवम् संरक्षण के लिए अपरिहार्य हो गया है कि इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया जाये, क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधन सीधे जन मानस से जुड़ा हुआ है और बिना आम जन की सहभागिता के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल के गहराते संकट से निपटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

3- जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल सम्पदा के महत्व के प्रति जन-जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य ''भूजल सप्ताह'' का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या-732/62-1-2012-830/98, दिनांक 05 जून, 2012 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में भूजल जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं-

3.1- सम्पूर्ण प्रदेश में उक्तानुसार ''भूजल सप्ताह'' का आयोजन राज्य, मण्डल, जनपद, तहसील एवं विकास खण्डों में विशेष रूप से स्थानीय स्कूल-कालेजों/शैक्षिक संस्थानों की व्यापक सहभागिता के साथ किये जाने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाये:-

(1) परिचर्चा और संवाद, निबन्ध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, स्लोगनराइटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना।

(2) कठपुतली का प्रदर्शन, लोकनृत्य/गीत और नुक्कड़ नाटक इत्यादि का आयोजन करना।

(3) पोस्टर्स, होर्डिंग, बैनर्स इत्यादि का प्रदर्शन कराया जाना।

(4) प्रदर्शनी, मेलों, उत्सव आदि का आयोजन करना।

(5) पद यात्राओं, रैलियों, संगोष्ठियों, साइकिल परेड आदि का आयोजन किया जाना।

(6) फिल्म/वृत्तचित्र, स्लाइड्-शो, आकाशवाणी, रेडियो कार्यक्रम, दूरदर्शन आदि के माध्यम से भूजल संरक्षण के संदेश प्रसारित किया जाना।

(7) वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण यथा संभव क्षेत्र के माननीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा ''भूजल सप्ताह'' की अवधि में कराया जाना।

3.2- संदर्भित शासनादेश में उक्त कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु निम्न व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रत्येक वर्ष इस आयोजन हेतु एक 'मुख्य विचार-बिन्दु' राज्य स्तर पर निर्धारित किया जायेगा, जिस पर उक्त कार्यक्रम केन्द्रित रहेंगे।

(2) भूगर्भ जल विभाग इस आयोजन हेतु 'नोडल विभाग' के रूप में समन्वय एवं अनुश्रवण का दायित्व निभायेगा तथा क्षेत्रीय/स्थानीय समस्याओं, भूजल संरक्षण एवं प्रबन्धन की सरल व उपयोगी विधाओं, भूजल सुरक्षा से जुड़े सुझावों आदि पर आधारित प्रचार-प्रसार सामग्री की रूपरेखा तैयार कर आवश्यकतानुसार सामग्री का प्रकाशन करायेगा।

(3) वर्तमान में भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय मण्डल स्तर पर ही स्थापित हैं, जबकि ''भूजल सप्ताह'' का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाना है।इसके दृष्टिगत जनपद स्तर पर अवस्थित लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता इस आयोजन के जनपदीय नोडल अधिकारी एवं मण्डल स्तर पर भूगर्भ जल विभाग के संबंधित अधिकारी, मण्डलीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(4) बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं अन्य राजकीय शिक्षण संस्थाएं इस आयोजन हेतु अपने नियंत्रणाधीन स्कूल-कालेजों, विश्वविद्यालयों व शैक्षिक संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे और उक्त आयोजन का अनुश्रवण करेंगे।

(5) जल संसाधनों से संबंधित समस्त विभाग यथा-सिंचाई, कृषि, लघु सिंचाई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग, भूमि विकास एवं जलसंसाधन, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा उ0प्र0 जल निगम, समस्त शहरी निकाय, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उपकार, वाल्मी आदि ''भूजल सप्ताह'' के आयोजन में समुचित भागीदारी के साथ आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

(6) कृषि विभाग के अधीन गठित भूमि सेना इस प्रायोजन हेतु भूजल सेना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता सृजित करने का कार्य करेगी।

(7) शहरी क्षेत्रों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अपने अधीनस्थ प्राधिकरणों, उ0प्र0 आवास विकास परिषद आदि के माध्यम से इस आयोजन की अवधि में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता हेतु पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन करायेगा।

(8) जनसामान्य की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से केन्द्रीय संस्थानों/प्रतिष्ठानों, गैरसरकारी संगठनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संगठनों का भी यथासंभव सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाये। विशेष रूप से कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला विज्ञान क्लब, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, शिक्षामित्र, आंगनबाडी केन्द्र, जल उपभोक्ता समितियाँ, रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, इण्डियन आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, इन्सटीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, युवा मंगलदल, नेहरू युवा केन्द्र जैसे संगठनों को भी इस आयोजन से जोड़ने का प्रयास किया जाये।

4- भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूजल समस्याओं को छायांकित करते हुए 03 लघु वृत्त चित्र तैयार किए गए है। लघु वृत्त चित्र की डी0वी0डी0 भूगर्भ जल विभाग के मण्डल स्तरीय कार्यालय से ''भूजल सप्ताह आयोजन''के जनपदीय नोडल विभाग- लघु सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। लघु सिंचाई विभाग के जनपदीय नोडल अधिकारी सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से उक्त डी0वी0डी0 विभिन्न जनपदीय विभागों/शैक्षिक संस्थानो को उपलब्ध कराएगें, जिससे कि प्रचार प्रसार के विभिन्न आयोजनों में तैयार वृत्त चित्र का प्रर्दशन किया जा सके। जिलाधिकारी यह भी प्रयास करेगें कि उक्त डी0वी0डी0 जनपद के विभिन्न सिनेमा घरों में भी प्रदर्शित की जा सके।

5- गत वर्षो की भाँति इस वर्ष भी सम्पूर्ण प्रदेश में मण्डल, जनपद, तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2019 के मध्य ''भूजल सप्ताह'' वृहद स्तर पर मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी विभागों, अर्द्धसरकारी संस्थाओं/निगमों तथा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सभी आवश्यक तैयारियाँ तत्काल आरम्भ कर दी जाये और प्रदेश भर में भूजल सप्ताह का आयोजन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराया जाये तथा आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को दिनांक 01 अगस्त, 2019 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये।

6- इस कार्यक्रम के सफलता पूर्वक आयोजन में मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों की विशेष भूमिका है। जनपद स्तर पर पूरे सप्ताह मनाये जाने वाले इस आयोजन की कार्ययोजना इस प्रकार बनायी जाये कि भूजल संरक्षण का संदेश आम जनता तक पहुँचे और वह इसके प्रति संवेदनशील बन सके। समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद स्तर पर चूँकि भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी तैनात नहीं हैं, अन्य सम्बन्धित विभागों यथा-कृषि, सिंचाई, लघु सिंचाई,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विकास प्राधिकरण, नगर निगम/नगर पालिका, आवास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उ0प्र0 जल निगम, लोक निर्माण, उद्यान, शिक्षा विभाग आदि के अधिकारियों की एक टीम बनायी जाय, जो इस कार्यक्रम को सफल बनायेंगी।

7- इस वर्ष का मुख्य विचार बिन्दु **''जल बचाएं-जीवन बचाएं (Save Water-Save Life)''** रखा गया है, जिस पर उक्त आयोजन केन्द्रित रहेगा।

8- भूगर्भ जल विभाग द्वारा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 'राज्य स्तरीय जन-जागरूकता समारोह' का आयोजन दिनक 22 जुलाई को किया जायेगा, जिसके सफलता पूर्वक आयोजन हेतु समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2019 के मध्य सम्पूर्ण प्रदेश में 'भूजल सप्ताह' का प्रभावी ढंग से आयोजन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या: 02 -2019/616 (1)/62-1-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफीसर, औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0।
6- आयुक्त, समस्त नगर निगम।
7- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।